

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल

“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

क्रमांक-472-अमृत-वि.यो.-03-नग्रानि-2019.-

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2020

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि डबरा निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट-

http://www.mptownplan.gov.in/plan_gwalior.html/Amrut.dabra.pdf

पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं --

1. आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर
2. जिला कलेक्टर, ग्वालियर
3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, डबरा
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, डबरा में इस सूचना के म. प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक.

No-472-Amrut-D.P.-03-TCP-2019.–

Bhopal, the 23rd January 2020

NOTICE

Notice is hereby given that the Draft Development Plan for Dabra Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub-section [1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No.23 of 1973), a copy thereof is available for inspection on Directorate's website http://www.mptownplan.gov.in/plan_gwalior.html/Amrut.dabra.pdf and at following offices during office hours namely -

- 1- Commissioner, Gwalior Division, Gwalior
- 2- Collector, District- Gwalior
- 3- Chief Municipal officer, Nagar Palika Parishad, Dabra
- 4- Joint Director, Town and Country Planning, District office, Gwalior

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Plan, the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Gwalior or mail on Email-id obj-sugg-dabra@mp.gov.in, before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

SWATANTRA KUMAR SINGH, Director.